



बिहार विकास मिशन

(मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के शासकीय अधीन)
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम कैम्पस,
हॉस्पिटल रोड, राजवंशी नगर, पटना-800023

दूरभाष संख्या:-0612-2285262

सं०सं०- बिंदिंमि०-स्या०-(DRCC)-०१/२० ७३० पट्टा, दिनांक १७/०६/२०२०

-:: आदेश ::-

जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, सारण में संविदा के आधार पर नियोजित निम्न कर्मियों के साथ हुए एकरानामा की कंडिका-05 में वर्णित शर्तों के अनुरूप उनके नियंत्री पदाधिकारी से एकरानामा विस्तार करने हेतु प्राप्त मत्तव्य एवं एकरानामा में वर्णित शर्तों तथा HR Manual में वर्णित प्रावधानों के आलोक में पूर्व में हुए एकरानामा के शर्तों पर ही निम्न कर्मियों का एकरानामा अवधि, स्तम्भ-07 (सात) में अंकित तिथि से अगले 11 (व्यारह) माह तक विस्तारित किया जाता है:-

क्र०सं०	नाम	HRMS Emp. Id	पदनाम	जिला का नाम	योगदान की तिथि	एकरारनमा समाप्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
01	SHAILENDRA KUMAR	100928	Single Window Operator	Saran	14-9-2016	14-5-2020
02	BIRENDRA KUMAR	100907	Single Window Operator	Saran	14-9-2016	14-5-2020
03	ABHIJEET KUMAR GAUTAM	100943	Single Window Operator	Saran	14-9-2016	14-5-2020

2. उपर्युक्त नियोजित कर्मियों का पुनर्नियोजन/ एकरारनामा विस्तार उनके साथ पूर्व में हुए एकरारनामा एवं बिहार विकास मिशन के HR Manual में वर्णित प्रावधानों के अधीन होगा।

3. उक्त वियोजित कर्मियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का प्रतिकूल टिप्पणी पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

4. इसमें सदस्य सचिव, बिहार विकास मिशन का अनुमोदन प्राप्त है।

(संजय कुमार पंसारी, आ०प्र०से)

मराठ्य अहाप्रबंधक

ज्ञापांक :- बिंविंमि०-स्था०-(DRCC)-०१/२०..... ७३० पट्टा. दिनांक १९०६/२० मुख्य महाप्रब


प्रतिलिपि :-जिला पदाधिकारी, सारण / उप समाहर्ता-सह-नोडल पदाधिकारी, सारण/ जिला योजना पदाधिकारी, सारण को सचवार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. जिला योजना पदाधिकारी, सारण के पत्रांक-174, दिनांक-15.05.2020 के क्रम में सूचित करना है कि उपर्युक्त कर्मियों का एकरारनामा अवधि उनके साथ हुए एकरारनामा में वर्णित शर्तों एवं HR Manual में वर्णित प्रावधानों के आलोक में 11 माह हेतु विस्तारित किया गया है। उक्त विस्तारित एकरारनामा अवधि में 3 माह के कार्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात् यदि उक्त कर्मियों का कार्य प्रतिकूल पाया जाता है तो उपर्युक्त आदेश की कंडिका-2 के आलोक में तदसंबंधी प्रतिवेदन बिहार विकास मिशन को उपलब्ध कराया जाय। कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि उक्त कर्मियों के संबंध में आपका मंतव्य सकारात्मक है।

B.C. 19/6/19
(निस्य महाप्रबुद्ध)

ज्ञापांक :- बिंदिमि०-स्था०-(DRCC)-०१/२०.....७३० पट्टा, दिनांक१९/०६/२०


प्रतिलिपि :- सभी संबंधित कर्मी, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


19/6/20

(मुख्य महाप्रबंधक)

ज्ञापांक :- बिंदिमि०-स्था०-(DRCC)-०१/२०.....७३० पट्टा, दिनांक१९/०६/२०

प्रतिलिपि :- महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा)/ श्रीमती रशिम रंजन, मैनेजमेंट एसोसिएट/ आई० टी० मैनेजर, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


19/6/20

(मुख्य महाप्रबंधक)

~~1.40 (M)
19/06/20~~